(141) 118

राजस्थान सरकार

निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

नेहरु सहकार भवन, 219–220, द्वितीय तल, भवानी सिंह रोड जयपुर

क्रमांक : एफ–1(15) (ii) अ.स.निदे. / अनुप्रति योजना / 2010–11 / 12019 **दिनांक** : 13/3/12

कार्यालय आदेश

अनुप्रति योजना संचालन नियम– 2011 में अभिवृद्धि

प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ राजस्थान सरकार, जयपुर के क्रमांक 366 दिनांक 23.05.2011 के द्वारा अनुप्रति योजना संचालन नियम 2011 में वर्णित भाग द्वितीय में निम्न शीर्ष शिक्षण संस्थानों को अनुप्रति योजना में शामिल कर प्रोत्साहन राशि हेतु अभिवर्धन किया जाता है :–

क्र. सं.	शीर्ष शिक्षण संस्थान	साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने एवं संस्थान में प्रवेश लेने पर अनुदान राशि
1.	भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान (ISRO)	प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के बाद अभ्यर्थी को देय अनुदान राशि 50,000 / – रूपये
2.	भारतीय वन प्रबन्धन संस्थान (IIFM) भोपाल	Common Admission Test (CAT) में उत्तीर्ण होने पर अभ्यर्थी को Group Discussion तथा साक्षात्कार की तैयारी हेतु देय राशि 25,000 / – रूपये Group Discussion तथा साक्षात्कार में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरांत देय अनुदान की राशि 25,000 / – रूपये

यह स्वीकृति राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2011–12 की बिन्दु संख्या 80 की क्रियान्विती हेतु तथा वित्त विभाग की सहमति एवं आई.डी. संख्या 66 / P–5 / 11 दिनांक 10.05.2011 के अनुसरण में जारी की जाती है।

प्रमुख शासन सचिव,
o/c **अल्पसंख्यक मामलात विभाग**

क्रमांक : एफ–1(15) (ii) अ.स.निदे. / अनुप्रति योजना / 2010–11 / 12020-12092 दिनांक : 13/3/12

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपु।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात् विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
6. जिला कलक्टर, समस्त ....।
7. लेखाधिकारी अल्पसंख्यक मामलात् विभाग, जयपुर।
8. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, समस्त .... को भेजकर लेख है कि उक्त योजना के नियम 2011 एवं आवेदन पत्र का फॉरमेट विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है। उक्त योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों के आधार बजट का अनुमान आंकलित कर बजट आवंटन हेतु विभाग को तत्काल लिखें।

प्रमुख शासन सचिव,
अल्पसंख्यक मामलात विभाग
o/c